

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश शासनका।

संचारा- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/11263

सम्बन्धता दिनांक: 27-12-2022

>कार्यालय शाप:-

प्रामाणी बाड़ियालय अधिकृत, नई दिल्ली द्वारा नीतिक सभ 2022-23 द्वारा दिल्ली का एक सम्भालने वाला किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उठाया गया गवाहक से नम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 27-12-2022 को परिषद कार्यालय से नम्बद्धता मिर्ति की वेदुक नाम्र हुई। वेदुक से मिर्ति द्वारा सभ 2022-23 हेतु पी.मी.आई. द्वारा नई दिल्ली का एक सम्भालने वाला प्रदान गवाहालय के अनुसार सम्बद्धता प्रदान किए जाने का विवरण लिया गया।

गम्बद्धता मिर्ति की वेदुक में लिये गये मिर्ति के अनुसार में निम्न संभालन को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उठाया गया सभ 2022-23 हेतु निर्धारित गार्ही के अधीन प्राविधिक एवं उसमें जमिल प्रबोध जमिल आमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।-

संस्था का कोड एवं नाम:- 4225, जाना कर्नल और प्रामाणी, एप्ट रिसर्च, बाबतपुर, बाराणसी।

प्र०म०	प्राविधिक शिक्षा परिषद का नाम	पी.मी.आई. द्वारा सभ 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रबोध जमिल	परिषद द्वारा सभ 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रबोध जमिल आमता
1	दिल्ली का एक सम्भालनी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें-

- ✓ संस्था पी.मी.आई. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं परिषद 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमबाली 1992, विनियमबाली-2000, सेमेस्टर विनियमबाली-2016 तथा सम्बद्ध-समय एवं निर्मत शामनावेदनों का अनुसारन करेगी तथा गुन्नल निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के वित्तिरक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सम्बद्ध-समय एवं शासन द्वारा निर्मत किए जाने वाले शामनावेदन प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फिर निर्धारण समिति द्वारा सभ 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होगी।
- ✓ संस्था ने संसुल विवेद परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों की ही प्रबोध दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को सम्बद्ध-समय एवं निर्मत शामनावेदन के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता गुन्नल जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शामन द्वारा बनाये गये विषि/नियमों/विधिनियमों/शामनावेदनों/मिर्ति एवं नियेशक, प्राविधिक शिक्षा, उठाया गया प्रबोध परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा नियेशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शामन के विरुद्ध यदि कोई वाइ दायर विया जाता है तथा दायर वाइ के संबंध में भा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपुर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपुर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संचक्त प्रबोध परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश नियन्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रबोध परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पी.मी.आई. से अनुमोदित प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा बन्यावा उन्हें प्रबोध की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रबोध परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रोवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

:कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरात प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4225-Asha College of Pharmacy and Research

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-३ उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9/2022 टी०सी०-१ दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की जीवंत के विरुद्ध माननीय न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 5027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन संबद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैंब उपकरण) आदि उपतब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एकट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अंतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन

करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था त्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यूएराइज पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था की शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियाँ और उपसमितियाँ, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद् की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद् को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद् के अधिकार में रखेंगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

प०स०- प्राशिप/परिषद् सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक Asha College of Pharmacy and Research



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव